"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2011—कार्तिक 13, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के उप-नियम (1) में, शब्द "नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

   "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (रु. 1000 तक के अरेखांकित तथा रु. 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा, मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष (60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)-सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां,"

2. नियम 4 के उप-नियम (3) में, शब्द "नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाए, अर्थात् :—
"या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (रु. 1000 तक के अरेखांकित तथा रु. 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा, मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष (60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)-सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां,"

3. उक्त संशोधन जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र, दिनांक 04 नवम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th November 2011

NOTIFICATION

No. F 2-4/2010/1-RTI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government, Right to Information (Appeal) Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In sub-rule (1) of Rule 3, after the words "non-judicial stamp", following words and figures shall be added, namely :—
"or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and above Rs. 1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major-head-0070-other administrative services, sub-major head (60)-other services, minor head (118)-receipts under Right to Information Act, 2005"

2. In sub-rule (3) of Rule 4, after the word "non-judicial stamp", the following words and figures shall be added, namely :—
"or demand draft or Banker's Cheque (up to Rs. 1000 uncrossed and above Rs. 1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major-head-0070-other administrative services, sub-major head (60)-other services, minor head (118)-receipts under Right to Information Act, 2005"

3. It shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.